सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 24, बुधवार, *शाके* 1945-जून 14, 2023 *Jyaistha 24, Wednesday , Saka 1945- June 14, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 07, 2023

संख्या एफ.27(क)(1)गृह-2/2023 पार्ट :- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 केन्द्रीय अधिनियम-2) की धारा 2 के खण्ड (एस) के अनुसरण में तथा इस बारे में इसको समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा जिला जयपुर में नया महिला पुलिस थाना कोटपूतली घोषित कर, नवसृजित महिला पुलिस थाना कोटपूतली का अधिकार क्षेत्र पुलिस जिला जयपुर ग्रामीण के सेक्टर कोटपूतली में सर्किल कोटपूतली के थाने कोटपूतली, पनियाला, सरूण्ड, सर्किल विराटनगर के थाने विराटनगर, प्रागपुरा, भाबरू एंव सर्किल शाहपुरा के थाने शाहपुरा, अमरसर व मनोहरपुर होगा। यह पुलिस थाना निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उक्त समस्त पुलिस थानों की अधिकारिता के साथ-साथ कार्य करेगाः-

1. (क) भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का स.45) की धारा 294, 304-ख, 306, 309, 354, 366-क, 366ख, 372, 373, 376, 376-क, 376ख, 376ग, 376घ, 498क, 509 के अधीन दण्डनीय और महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराध।

(ख) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का स.104) के अधीन दण्डनीय अपराध।

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 (1961 का स.28) के अधीन, दण्डनीय अपराध।

2. उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लेखित अपराधों के प्रयत्न या दुष्प्रेरण के लिए दण्डनीय अपराध।

3. महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों की रिपोर्ट की जांच और अन्वेषण।

यह अधिसूचना इस विषय पर इससे पूर्व प्रसारित सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में समझी जावें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

जगवीर सिंह,

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।